

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा।

न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर स्वीपर के रूप में सेवा लेने के संबंध में।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा के अधीन व्यवहार न्यायालय मधेपुरा के लिए दो एवं अनुमंडल न्यायालय उदाकिशुनगंज के लिए एक न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर कुल तीन स्वीपर (झाड़ूकश) की अस्थाई रूप से आवश्यकता है। अपनी सेवा देने के लिए इच्छुक योग्य भारतीय नागरिकों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

सेवा देने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता निम्नांकित है :-

- (क) संबंधित न्यायालय क्षेत्र का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- (ख) शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं संबंधित कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष होना चाहिए।
- (ग) स्वच्छ आचरण का होना चाहिए।
- (घ) न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए तथा उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

इच्छुक उम्मीदवार विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के तीस दिनों के भीतर अर्थात् दिनांक-03.10.2019 तक विहित प्रपत्र में अपना आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा के प्रशासनिक कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान निबंधित डाक या हाथों-हाथ जमा करें।

अंतिम चयन की सारी प्रक्रिया व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा के नियुक्ति समिति के द्वारा की जाएगी और पात्रता स्वीकृत/ अस्वीकृत एवं चयन संबंधि सभी मामलों में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

स्वीपर (झाड़ूकश) के रूप में अपनी सेवा देने वाले कर्मियों का पारिश्रमिक बिहार सरकार (विधि विभाग/ वित्त विभाग) से आच्छादित है तथा उनको किए गये भुगतान अधिक पाये जाने की स्थिति में अधिक भूगतायी गई राशि की वसूली उनसे नियमानुसार कर ली जाएगी।

चयनित किसी अभ्यर्थी के लिए निम्न शर्तें मान्य एवं बाध्यकारी होंगी :-

1. स्वीपर (झाड़ूकश) के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों की सेवा पूर्णतः अस्थाई होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उनसे सेवा ली जाएगी।
2. न्यायालय में स्वीपर के रूप में सेवा देने के आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
3. चयनित किसी अभ्यर्थी की सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा किसी अन्य कारण से विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के उससे सेवा लेना बंद कर सकती है तथा इसके लिए किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
4. उक्त पद पर चयन हेतु आवेदक को यात्रा भत्ता अथवा किसी व्यय का पुनर्भरण इत्यादि देय नहीं होगा।

आदेशानुसार

Deepankar
03.09.2019

न्यायालय प्रबंधक,
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

आवेदन का प्रारूप

आवेदित पद का नाम—स्वीपर (झाड़ूकश)

फोटो

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि :- दिन महिना वर्ष
4. लिंग (स्त्री/पुरुष) :-
5. राष्ट्रीयता :-
6. पत्र व्यवहार का पता :-
7. स्थायी पता :-
8. मोबाईल नम्बर :-
9. शैक्षणिक योग्यता :-
- (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
10. पूर्व कार्य का अनुभव :-
- (यदि कोई हो)

स्थान
दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मेरे विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा लंबित नहीं है एवं मेरे उपर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि नहीं किया गया है। मैं जानता/ जानती हूँ कि यदि कोई सूचना छिपाई गयी/ झुठी या गलत पायी गई या अपात्रता के बारे में बाद में पता चलता है तो मेरी अभ्यर्थता या नियुक्ति रद्द की जा सकती है एवं मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान
दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर